राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

स्वायत्त शासन भवन जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

क्रमांक : एफ.2(घ)(335)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2024/596 दिनांक : 14/02/2024

:: आदेश ::

नगर पालिका विराटनगर द्वारा आमन्त्रित निविदाओं में बिना सामान प्राप्त किये फर्मो को भुगतान किये जाने सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर जॉच समिति का गठन किया जाकर जॉच कराई गई। जॉच दल द्वारा नगर पालिका विराटनगर में जाकर सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच किये जाने पर जॉच समिति को नगर पालिका विराटनगर द्वारा भुगतान के मूल वाउचर उपलब्ध नही कराये गये तथा उक्त अभिलेख श्री रिंकू यादव स्टोर प्रभारी पावटा के पास होना अवगत कराया गया। प्रकरण में श्री रिंकू यादव के पावटा स्थित कक्ष पर ताला लगा हुआ पाया गया। नगर पालिका विराटनगर द्वारा (1) पोल बैण्ड, नट बोल्ट सप्लाई (2) फेजवायर सप्लाई (3) क्लोथ बैग सप्लाई (4) 60वाट एलईडी लाईट सप्लाई (5) छोटे डस्टबीन सप्लाई (6) बड़े डस्टबीन सप्लाई – प्रत्येक की अनुमानित लागत 9.90 लाख की निविदा आमन्त्रित की गई। **उक्त निविदाओं का परीक्षण कर जॉच दल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकरण मे नगर पालिका द्वारा उक्त निविदाओं में अवैद्य भुगतान किया गया है।** जॉच दल द्वारा अपनी रिपोट में अपने निष्कर्ष के साथ यह भी अंकित किया गया है कि :–

01. नगर पालिका द्वारा उपापन के लिए किसी भी निविदा के लिए उपापन समिति का गठन नही किया गया है जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 (RTPP Act 2012) एवम् नियम 2013 (RTPP Rules 2013)का स्पष्ट उल्लंघन है।
02. नगर पालिका द्वारा ऑफ लाईन लिफाफो के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त किये गये है जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 (RTPP Act 2012) एवम् नियम 2013 (RTPP Rules 2013)का स्पष्ट उल्लंघन है।
03. नगर पालिका द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही की गई और ना ही किसी अभियन्ता द्वारा तकमीनों का प्रमाणित किया गया है।
04. नगर पालिका द्वारा वांछित सामग्री दर (Item Rate) के लिए कोई आधार/विश्लेषण नही किया गया।
05. भुगतान योग्य राशि का प्रमाणीकरण किसी भी अभियन्ता, लेखाकार द्वारा नही किया जाकर केवल अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष व लेखापाल द्वारा किया गया है।

06. नगर पालिका द्वारा बिलों के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर्स आदि जॉच दल को उपलब्ध नही कराये गये

प्रकरण में जॉच दल के तथ्यों व निष्कषों के दृष्टिगत प्रकरण में (1)श्रीमती मनीषा यादव – तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका विराटनगर हाल पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा में तथा (2)श्री रिंकू यादव – वरिष्ठ लिपिक हाल स्टोर प्रभारी नगर पालिका पावटा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवम् अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत

01. श्रीमती मनीषा यादव – तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका विराटनगर हाल पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा में तथा

02. श्री रिंकू यादव – वरिष्ठ लिपिक हाल स्टोर प्रभारी नगर पालिका पावटा

को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग रहेगा तथा इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका विराटनगर व नगर पालिका पावटा द्वारा किया जावेगा।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक व संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.2(घ)(335)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2024/597-606 दिनांक : 14/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय।
03. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका विराटनगर/पावटा।
04. **श्रीमती मनीषा यादव – अधिशाषी अधिकारी हाल पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय।**
05. **श्री रिंकू यादव – वरिष्ठ लिपिक हाल स्टोर प्रभारी नगर पालिका पावटा।**
06. आर.एम.एस. (संस्थापन)/एस.एम.ई. अनुभाग अनुभाग, निदेशालय।
07. सुरक्षित पत्रावली।

(चांदमल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक